न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 07/2024 बउनवानी महेशचन्द गर्ग बनाम लो.सू.अधि.एवं तहसीलदार खण्डार पुत्र श्री बाबूलाल गर्ग निवासी केशव नगर बजरिया स0मा0 **GCMS No-2024/15**

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
27.3.2024	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। लोक सूचना एवं तहसीलदार खण्डार की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 20.11.2023 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खण्डार को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गया:–

1. ग्राम गंगानगर ख0न0 876 दिनांक 6.8.1996 राजकीय प्राथमिक विद्यालय गंगानगर को खेल मैदान के लिए 3.09 बीघा भूमि आवंटन का आवंटन पटटा नकल नक्शा ट्रेस पटवारी रिपोर्ट व सम्पूर्ण पत्रावली की नकल 2 सेट ग्राम पंचायत छाण।
2. ग्राम गंगानगर पटवार हल्का छाण की ख0न0 876 की सन, 1990 नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खण्डार द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खण्डार को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही। दौराने सुनवायी उपस्थित पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खण्डार की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस कमांक राजस्व/2024/219 दिनांक 23.2.2024 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र दिनांक 20.11.2024 के बिन्दु संख्या 1,2 की कुल 6 पृष्ठो की सूचना तहसीलदार खण्डार के पत्रांक/राजस्व /2023/91 दिनांक 1.2.2024 से अपीलान्ट को जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवायी जा चुकी है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 20.11.2024 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1,2 मे चाही सूचना (कुल 6 पृष्ठो) की प्रमाणित प्रति अपीलान्ट को तहसीलदार खण्डार के पत्रांक राजस्व/2023/91 दिनांक 1.2.2024 से उपलब्ध करवायी जा चुकी है। चूंकि चाही गयी सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध हो चुकी है इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किया जाना उचित समझता हूँ। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज सुनवायी गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Khushaal Yadav
Date: 2024.09.21 14:26:01 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ0खुशाल यादव)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner